

राजस्थान राज्यपाल

राजस्वविभाग-६४ विभाग

क्रमांक: प. ३४६५राज-६/२००४ / १३

जयपुर दिनांक २०७०२००४

अधिसूचना

राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, १९५६, राजस्थान  
अधिनियम १५ सन् १९५६ की धारा २६० की उपधारा ३१५ के  
खण्ड५ द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार  
इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक ६४६५राज-५/७४ दिनांक ३०-१-७५  
जिसके द्वारा १। की शक्तियाँ सार्कजनिक निर्माण विभाग के सहायक  
अभियन्ताओं की दी गई थीं, को वायित लिया जाता है अब इन  
शक्तियों का प्रयोग तहसीलदारों द्वारा तहसीलदारों द्वारा ही  
किया जायेगा।

राज्यपाल के आदेश से

उप शासन सचिव

प्रतिलिपि: निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु  
प्रेषित है :-

1. निजी सचिव, मुख्य मंत्री / राजस्व मंत्री
2. निजी सचिव, मुख्य सचिव,
3. निजी सचिव, प्रमुख सचिव, राजस्व
4. निजी सचिव, सचिव सार्कजनिक निर्माण विभाग
5. समर्त जिला कलेक्टर
6. निर्बंधक राजस्व मण्डल अधिकारी।
7. मुख्य अभियन्ता, सार्कजनिक निर्माण विभाग
8. राजस्व विभाग के समस्त अनुच्छेद
9. निदेशक सूचना सर्व जनर्मर्क विभाग जयपुर
10. अधिकारी राज्य केन्द्रीय मुद्रशालय जयपुर को उपरोक्त अधिसूचना
11. राजस्थान राज्यव्रत के असाधारण अंक दिनांक २०७०२००४ में  
प्रकाशित करने हेतु प्रेषित है।
11. रक्षित पत्रावली।

उप शासन सचिव